

कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

फोन नं 01462-240699 E-Mail :- pdatma_nagaur@rediffmail.com

क्रमांक / आत्मा / नागौर / लेखा / 2017-18 / 719-24

दिनांक :- 03.08.17

निविदा संख्या 03/17-18

आत्मा योजना की गतिविधियों हेतु भोजन, स्टेशनरी एवं किराये की बस हेतु निम्न विवरण अनुसार खुली बोली आमन्त्रित की जाती है। उक्त निविदा को <http://spppp.raj.gov.in> पोर्टल व कृषि विभागीय साईट www.krishni.rajasthan.gov.in पर भी देखा / डाउनलोड किया जा सकता है।

क्र.स.	कार्य विवरण	का शुल्क	निविदा शुल्क	अनुमानित राशि (लाखों में)	बचाना / ब्रोकर राशि (हजारों में)	निविदा फार्म प्राप्त करने की दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक	निविदा खोलने करने का समय
1.	बस	400/-	8.00	16000/-	04-08-17 से 23-08-2017 को सायं 6.00 बजे तक	24-08-17 को 11.00 AM तक	24-08-17 को 3.00 PM	
2.	अत्याहार व भोजन व्यवस्था एवं सफाई	400/-	9.50	19000/-	04-08-17 से 23-08-2017 को सायं 6.00 बजे तक	24-08-17 को 11.00 AM तक	24-08-17 को 3.00 PM	
3.	स्टेशनरी	400/-	2.50	5000/-	04-08-17 से 23-08-2017 को सायं 6.00 बजे तक	24-08-17 को 11.00 AM तक	24-08-17 को 3.00 PM	

(संकराराम बेड़ा)

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

दिनांक :- 03.08.17

क्रमांक / आत्मा / नागौर / लेखा / 2017-18 / 719-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि सीकर लखंड सीकर।
- श्रीमान एनलिसट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय साईट www.krishni.rajasthan.gov.in पर उक्त निविदा अपलोड कराने हेतु।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
- लेखा शाखा / भंडारपाल कार्यालय हाजा।
- संपादक, राजस्थान पत्रिका नागौर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावे तथा डीपीआर दर से बिल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे।
- संपादक, सांध्य ज्योति दर्पण नागौर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावे तथा डीपीआर दर से बिल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे।

(संकराराम बेड़ा)

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

नकद/बैंकर चैक/डीडी संख्या
दिनांक.....
जारी दिनांक.....

उप निदेशक कृषि एवं
पदेन परियोजना निदेशक
आत्मा, नागौर

निविदा सूचना संख्या 3(t) 2017-18 (किराये पर बस हेतु)

निविदा फार्म

1	कार्यालय का नाम	उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर
2	निविदा सूचना संख्या	क्रमांक/आत्मा/नागौर/लेखा/निविदा-03/2017-18/719-24 दिनांक : 03.08.2017
3	धरोहर राशि/धरोहर 16000/-	रु बैंकर चैक / डीडी संख्या दिनांक..... राशि
4	सलग्न दस्तावेज	पैन नं (अथवा प्रति सलग्न करें) जीएफटी नं (यदि लागू हो तो, अन्यथा लागू नहीं होने की स्वयं की घोषणा)
5	निविदा प्रस्तुत करने वाली का नाम व पूर्ण पता	निविदा दाता / व्यक्ति / फर्म का नाम टेलीफोन नं. मोबाईल नं..... पैन नं.....
6	निविदा फार्म विक्रय करने की तिथि व समय निविदा जमा करने की तिथि व समय निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 08.08.2017 से 23.08.2017 को 06.00PM तक दिनांक 24.08.17 को 11.00 AM दिनांक 24.08.2017 को 03.00 PM
7	कार्य का विवरण	आत्मा गतिविधियों के अन्तर्गत भ्रमण, मेले में कृषकों लाने-ले जाने हेतु नागौर मुख्यालय एवं जिले की पंचायत समिति स्तर से रवाना होकर कृषकों को सम्मिलित करतें हुए भ्रमण पश्चात् कृषकों को पहुंचाने हेतु (3x2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस किराये पर लेने हेतु।
8	प्रस्तावित दर	वाहन (सेमी डीलक्स बस) किराये हेतु प्रस्तावित दरें समस्त करें (जीएसटी आदि) एवं समस्त व्यय (डीजल, ऑयल टोल टैक्स आदि) सहित प्रति किमी प्रस्तावित दर प्रति किलोमीटर
(3x2) 52 सीटर सेमी डीलक्स बस		जिले के अन्दर (कर सहित) राज्य में (कर सहित) राज्य से बाहर (कर सहित)

1 निविदा फार्म का वेब साईट से डाउनलोड करने पर निविदा फार्म का शुल्क डीडी/नकद निविदा के साथ जमा करानी होगी।

मैंने / हमने उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ व समझ लिया लिया है तथा मुझे/हमें निविदा की समस्त शर्तें मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर


कार्यालय उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

फोन नं 0352220000 E-Mail :- pdstna.nagaur@rediffmail.com

निविदा की शर्तें

कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-2018 में आत्मा योजनान्तर्गत आयोजित प्रशिक्षणों में एव अन्तर्राज्यीय /राज्य भ्रमण हेतु किराये पर वाहन बस उपलब्ध कराने हेतु निविदा संख्या 03/2017-18 की शर्तें -

1. इच्छुक निविदादाता द्वारा निविदा में दिये गये निदेशों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की जावेगी जिस पर कृषक भ्रमण हेतु सेमी डिलक्स बस किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा लिखकर ही प्रस्तुत करें। निविदा खुली होने पर तथा कांट छाट होने पर स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. वाहन की दरें समस्त कर सहित (वाहन का कर, जीएसटी, सेवा कर इत्यादि) एवं समस्त व्यय टोल टैक्स डिजल व्यय आदि सहित समलित करते हुए प्रति किमी दर प्रस्तुत करें। सरार्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. निविदा के साथ निर्धारित अमानत/बिडसिक्योरिटी 2 प्रतिशत राशि 16000/- का बैकर चैक/डीडी तथा आवश्यक दस्तावेज पैन कार्ड फोटो प्रति, जीएसटी नं. फोटो प्रति, सेवा कर प्रमाण पत्र फोटो प्रति आदि संलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी, किसी भी प्रकार की कमि होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
4. निविदा स्वीकार होने के पश्चात सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार धरोहर राशि जमा नहीं कराने एवं निर्धारित करार नहीं करने पर बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. इस वर्ष से लागू पंजीयन एव मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित पंजियन शुल्क जो निविदा की राशि पर देय है का भुगतान निविदादाता को चुकाना होगा।
6. निविदा स्वीकार होने के पश्चात निर्धारित सात दिवस या जो समय निर्धारित किया जावे के नियमानुसार पांच प्रतिशत की दर से कार्यक्षमता राशि 40000/- अक्षरे धालीस हजार जमा करानी होगी, अमानत राशि कार्य क्षमता राशि में समायोजन की लिखित सहमति देने पर शेष अन्तर राशि जमा करानी होगी। कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर एवं फर्म द्वारा समस्त बकाया कर (जीएसटी) आदि जमा के धालान प्रस्तुत करने पर एवं कोई राशि बकाया नहीं होने के पश्चात कार्यालय द्वारा पूर्ण संतुष्ट होने पर लौटाई जावेगी। निविदा स्वीकार होने के पश्चात नियमानुसार (पंजीयन एव मुद्रांक विभाग के आदेश अनुसार 0.25 प्रतिशत) 2000/- रूपये के नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार कर नोटेरी द्वारा नोटरी करवा कर प्रस्तुत करना होगा, इसके प्रस्तुत करने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा। इस पर व्यय समस्त खर्च का भुगतान निविदादाता का होगा। कार्यालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
7. कार्य आदेश जारी करने के पश्चात निविदादाता द्वारा कार्य नहीं करने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
8. नियमानुसार देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
9. आयकर के अलावा देय समस्त कर लागू होने या नहीं होने की स्थिति में भुगतान निविदादाता को ही करना होगा, जिसमें देय नियमानुसार जीएसटी का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा विभाग द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. निविदादाता को भुगतान करने से पूर्व भुगतान पर देय जीएसटी की राशि संबंधित विभाग में जमा करा कर धालान प्रति प्रस्तुत करनी होगी उसके पश्चात ही देय भुगतान निविदादाता को किया जावेगा। आप द्वारा देय



जीएसटी राशि जमा नहीं कराने पर एवं बकाया राशि होने पर नियमानुसार जमा धरोहर राशि में से काटी जाकर संबंधित विभाग में जमा करायी जावेगी। जिसके लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

11. निविदादाता को निविदा से समस्त पृथो पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा शर्तों एवं समझौते पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. निविदादाता के भुगतान की कुल राशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी। परिवहन विभाग को जीएसटी आदि का समस्त भुगतान का दायित्व निविदादाता का होगा तथा जमा करा कर रसीद/चालान कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। इस कार्यालय द्वारा अतिरिक्त किसी कर का भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. वाहन पर होने वाले समस्त व्यय डीजल/ऑयल एव वाहन रिपेयर मरम्मत एव चालक आदि का व्यय निविदादाता का होगा।
14. निविदा वाहन मासिक ट्रेवलस एजेन्सी एव किराये पर वाहन उपलब्ध कराने वाली अनुभवी फर्म के द्वारा ही प्रस्तुत की जावे।
15. निविदादाता को इस हेतु कोई अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. प्रस्तुत दरें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए (दिनांक 31.3.2018 तक के लिए ही) मान्य होगी इस अवधि को आपसी सहमति से ही बढ़ाया जा सकेगा।
17. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने व निविदा शर्तों में संशोधन का अधिकार निविदा क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
18. निविदादाता अपनी निविदा/संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को सब लेट नहीं करेगा।
19. निविदा में दर्शाये गये कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
20. वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो एवं सीटे सही आरामदायक होनी चाहिए।
21. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत/नुकसान/चालान आदि होने पर इनका का व्यय वाहन मासिक द्वारा वाहन किया जावेगा। यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्च रात्रि विश्राम व अन्य कर के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
22. वाहन चालक विनम्र हो एव भ्रमण के दौरान किसी प्रकार के नशीले प्रदार्थ का सेवन नहीं करेगा।
23. निविदादाता को जिला मुख्यालय/पंचायत समिति स्तर पर बसे वाहन उपलब्ध कराना होगा। भ्रमण का प्रस्थान एव समाप्ति स्थल पंचायत समिति होगा। जो जिले में पंचायत समिति स्थित है। भुगतान हेतु किलोमिटर की गणना प्रस्थान स्थान से शुरू होगी तथा पुनः आगमन उसी स्थान पर समाप्ति तक किलोमिटर की गणना होगी। तदनुसार भुगतान किया जावेगा, अन्य स्थान से वाहन रवाना होने या पहुंचने की गणना किसी भी स्थिति में नहीं होगी।
24. वाहन का भुगतान संचालित वाहन की लॉग बुक शीट भरकर यात्रा के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी से प्रमाणित करानी होगी उसके पश्चात ही भुगतान किया जावेगा। बिना प्रमाणित लॉग शिट का भुगतान नहीं किया जावेगा।
25. भ्रमण के लिए जिला मुख्यालय/पंचायत समिति मुख्यालय से रवाना होकर रास्ते आने वाले ग्राम पंचायत स्तर से कृषकों को समलित करते हुए प्रस्तान करेगी। पंचायत समिति स्थान से रवाना होते समय जिस प्रकार रास्ते में ग्राम स्तर से किसानों को समलित किया जावे उसी प्रकार पुनः आगमन पर उसी स्थान पर किसानों को उतारा जावे।



26. प्रस्थान की दिनांक एवं समय से आपको अवगत कराया जावेगा इसके संबंध में अधिक जानकारी यात्रा के दौरान अधिकारी प्रमारी कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त की जा सकती है जिसके नाम एव मोबाईल नम्बर सहित सूचि उपलब्ध कराई जावेगी।
27. रास्ते में वाहन खराब हो जाने वाहन चालक द्वारा वाहन आगे नहीं ले जाने पर प्रमारी अधिकारी द्वारा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने पर उस पर होने वाले वास्तविक समस्त व्यय की वसूली निविदादाता को देय भुगतान में से कटौती की जावेगी।
28. जिला स्तर व पंचायत समिति मुख्यालय से प्रस्थान एवं आगमन तक वाहन के साथ नियुक्त अधिकारी प्रमारी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना होगा, उनके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी।
29. किराये पर लिये जाने वाले वाहनों की संख्या में आवश्यकता के अनुसार मांग में परिवर्तन किया जा सकता है।
30. राज्य के भीतर भ्रमण में समस्त कर भुगतान निविदादाता द्वारा एवं राज्य से बाहर भ्रमण पर कर (बोर्डर टेक्स व टोल टेक्स) इस कार्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा।
31. निविदादाता को कृषक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न मूल दस्तावेज वाहन के साथ में आवश्यक रूप से रखने होंगे।
1. वाहन का पंजियन प्रमाण पत्र
 2. वाहन चालक का वैध अनुज्ञापत्र (लाईसेंस)।
 3. वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र।
 4. वाहन का वैध फिटनेस प्रमाण पत्र।
 5. वाहन का वैध बीमा संबंधी प्रमाण पत्र।
 6. वाहन का प्रदूषण रहित होने का प्रमाण पत्र।
 7. भ्रमण के समय संबंधित विभाग से रूट परमिट प्राप्त करना होगा।
32. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एव लेखा नियम के अनुसार लागू होगी जिसका पालन करना होगा।
उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 31 तक की शर्तें मुझे/हमें स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

(शंकराराम बेड़ा)

उप निदेशक कृषि एवं पदेन
परियोजना निदेशक "आत्मा", नागौर

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर

(अतिरिक्त सिद्ध)
उप परियोजना निदेशक
'आत्मा' नागौर

(कमलेश कुमार बेनेलिया)
उप परियोजना निदेशक
'आत्मा' नागौर

उप निदेशक
(उप कुमार शर्मा)
लेखाक्षर कम सिद्ध

सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
कर्म. उप निदेशक कृषि (वि.), जि.प. नागौर